

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
रायपुर-दुर्ग संभाग, पुराना नर्सिंग हास्टल, डी.के.एस. भवन परिसर, रायपुर छ.ग.
E-Mail ID- jdhs.raipur@gmail.com Phon 0771-2229950, Fax no- 4262299

क्रमांक/स्था.अवि./पदोन्नति/डी.पी.सी./2024/15

रायपुर दिनांक 24.01.2024

// आदेश //

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 11 जून 2020 में संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर संभाग को प्रदत्त शक्तियों एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.01.2024 में दिये गये अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित ग्राभीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष/महिला) या ड्रेसर ग्रेड-01 जो कि नेत्र सहायक अधिकारी का दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा शासन के अनुमति एवं प्रशिक्षण अवधि के अध्ययन अवकाश शासन द्वारा स्वीकृति पश्चात् परीक्षा उत्तीर्ण है, व छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल से पंजीकृत है को एतद् द्वारा नेत्र सहायक अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपयें 28700-91300 ग्रेड वेतन रूपयें 2800/- मेट्रिक्स लेवल 07 में पदोन्नति करते हुये आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम-05 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद स्थापना स्थल	पदोन्नत पद	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
1	श्रीमती भारती साहू	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानिकचौरी वि.ख. अभनपुर, जिला-रायपुर	नेत्र सहायक अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खल्लारी जिला-महासमुन्द
2	श्रीमती अन्नपूर्णा वर्मा	उप स्वा.केन्द्र नवागांव, वि.ख. अभनपुर, जिला-रायपुर	नेत्र सहायक अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आरंग जिला-रायपुर
3	श्री मनोज कुमार साहू	सामु.स्वा.केन्द्र गोबरा नवापारा जिला-रायपुर	नेत्र सहायक अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़मा जिला-गरियाबंद
4	श्री कृष्ण कुमार वैष्णव	उप स्वा.केन्द्र जम्हर, जिला महासमुन्द	नेत्र सहायक अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोमाखान जिला-महासमुन्द
5	श्री महेन्द्र कुमार चक्रधारी	उप स्वा.केन्द्र अरौद (ली) वि.ख. गुजरा जिला-धमतरी	नेत्र सहायक अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करेगांव जिला-धमतरी

नियम एवं शर्त :-

- उक्त पदोन्नति आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP(PIL) No. 91/2019, S. Santosh Kumar Vs State Of Chhattisgarh And Another एवं WP(S) No. 9778/2019, Vishnu Prashanna Tiwari Vs State Of Chhattisgarh And Another में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
- उक्त पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति पर की गई पदस्थापना स्थान पर आदेश प्रसारित होने की तिथि से 15 दिवसों के भीतर संबंधित कर्मचारियों को अपने पदोन्नति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संबंधित का पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
- यदि उपरोक्त में से किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय/लोकायुक्त/न्यायालयीन जाँच संस्थित की गई हो तो संबंधित को कार्यमुक्त ना किया जाये तथा पूर्ण विवरण सहित सूचना इस कार्यालय को दी जाये।
- पदोन्नत कर्मचारियों को पदस्थापना स्थल हेतु संबंधित अधिकारी समयावधि में भारमुक्त करेंगे।
- पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना स्थल में संशोधन के किसी भी आवेदन को अनुशासनहीनता मानकर सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण/भ्रामक जानकारी देकर पदोन्नति पाने वाले कर्मचारी के विषयक जानकारी प्राप्त होने की दशा में संबंधित कर्मचारी की पदोन्नति निरस्त कर दी जावेगी।

LP
संभागीय संयुक्त संचालक
स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर/दुर्ग संभाग (छ.ग.)

निरंतर.....02



Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्र./स्था.अवि./सत्रह/2024/ 286-91

//02//

रायपुर, दिनांक 24.01.2024

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक (अवि.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिलाछ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित कर्मचारी को उनके कार्यालय के मार्फत सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. फाईल नस्ती।


संभागीय संयुक्त संचालक
स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर/दुर्ग संभाग (छ.ग.)